ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 94-96
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

लोकतंत्र की रीढ : चुनाव

1. नाजनीन बेनजीर
2. शुबोध कुमार

शोध अध्येत्री– डी.ए.वी पीजी डिग्री कॉलेज, गोरखपुर, 2. प्रोफेसर, शोध निदेशक– विभाग अध्यक्ष, राजनीती शास्त्र, डी.ए.वी पीजी डिग्री कॉलेज, गोरखपुर (उ0प्र0), भारत

Received-26.01.2024, Revised-02.02.2024, Accepted-09.02.2024 E-mail: nazninbenazir@gmail.com

सारांश: चुनाव को लोकतंत्र का रीढ़ माना जाता है। भारतीय चुनाव प्रणाली में मतदाता किसी भी उम्मीदवार को स्वेच्छा से वोट देने के लिए स्वतन्त्र होता है। चुनाव उस तंत्र की ओर संकेत करतें हैं जिसके द्वारा लोग समय से व नियमित रूप से अपने प्रतिनिधियों का चयन करतें हैं और निर्धारित लक्ष्य नहीं मिलने पर अगले चुनाव में उन्हें सत्ता से हटा भी सकतें हैं। चुनाव के समय मतदाताओं में असमंजस की स्थिति भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि मतदाताओं के मन में अपने उम्मीदवार को लेकर कई सवाल उठतें रहतें हैं, जैसे कि क्या उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किये हुए वायदों को भूल तो नही जायेगा इत्यादि।

कुंजीभूत शब्द– चुनाव, आवश्यकता, संवैधानिक प्रावधान,चुनाव के बदलते स्वरूप, भारतीय चुनाव प्रणाली, मतदाता, नियमित रूप।

किसी भी लोकतान्त्रिक देश को गतिशील और जीवंत बनाये रखने के लिए चुनाव एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भारतीय संविधान के भाग 15 व् अनुच्छेद 324 से 329 तक में देश में निर्वाचन से संबंधित विभिन्न उपकरणों पर विस्तार से चर्चा किया गया है। देश में निर्वाचन से सम्बंधित सभी कार्य आसानी, शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न हो इसके लिए हमारे संविधान द्वारा एक आयोग का गठन किया गया है, जिसे चुनाव आयोग कहते है। चुनाव आयोग एक संविधानिक संस्था है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसके गठन का उद्देश्य देश में स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनाव करना है। यह आयोग एक स्वतन्त्र तथा स्थाई संस्था है।

चुनाव देश के सर्वांगीण विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। चुनाव एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जनता शासन प्रक्रिया में सहभागिता दिखाती है। साथ ही चुनाव देश का भविष्य निर्धारित करने का काम करता है।

प्रत्येक देश चुनाव नामक तंत्र का उपयोग अपना प्रतिनिधि को चुनने के लिए करता है। चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और ये ही प्रतिनिधि चुनाव जितने के बाद संसद में अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करतें है और अपने क्षेत्र की समस्या इत्यादि को सदन के पटल पर रखतें है।

चुनाव की आवश्यकता– चुनाव किसी भी लोकतान्त्रिक देश को विकास के पथ पर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। यही वजह है कि एक निश्चित अंतराल पर प्रत्येक देश में चुनाव होते रहतें है। हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों रहती है? यदि बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें, जहाँ पर देश का हर नागरिक मिल जुल फैसला करतें है वहां पर बिना चुनाव के ही शासन का संचालन हो सकता है, लेकिन जब बात एक बहुत बड़ी जनसँख्या की होती है तो ऐसा करना सम्भव नही हो पाता है और न ही ऐसा सम्भव है कि हर समस्या का समाधान हर किसी के पास हो जो की लोक हित में हो। इसीलिए अधिकांश लोकतान्त्रिक देश में चुनाव कराया जाता है चुनाव के माध्यम से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और इन्ही प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन – प्रशासन का संचालन किया जाता है।

चुनाव के माध्यम से ही जनता अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनती है ऐसा प्रतिनिधि जो योग्य, अनुभवशील, कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेदारी को समझने वाला हो, अपनी क्षेत्र की समस्या को सदन के पटल पर रखना और उसका निदान दिलाने वाला हो साथ ही खुद को जनता का सेवक समझने वाला हो।

मतदाता अपने प्रत्याशी का चुनाव कई बातों को ध्यान में रखकर करते हैं :

- वह सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाला हो,
- जनता के हित में कानून बनाने वाला हो,
- वह कानून बनवाने में सरकार का दिशा निर्देश करने वाला हो।

चुनाव के उद्देश्य–

- चुनाव किसी देश के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
- चुनाव में सर्वोच्च शक्ति का केंद्र बिंदु जनता होती है। अतः जनता का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है यही वजह है कि जनता को अपने वोट का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए।
- चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश की रीढ़ कही जाती है, इसीलिए चुनाव आयोग की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह चुनाव को स्वतन्त्र व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराये।
- चुनाव वह साधन है, जिसके जरिये जनता अपने प्रतिनिधि को समाज के प्रगति के लिए मंच प्रदान करती है।
- चुनाव राजनितिक प्रतिस्पर्धा को जन्म देतें है, जिससे जनता योग्य उम्मीदवार चुन सकती है।
- चुनाव विभिन्न राजनितिक दलों के विचारों से जनता को अवगत कराती है।
- चुनाव राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी को सुनिश्चित करती है।
- चुनाव देश की राजनितिक पार्टियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनती है।
- किसी देश में लोकतंत्र को सफलतापूर्वक व सुचारुपूर्ण ढंग से संचालित करने में चुनाव एक महत्वपूर्ण साधन के सामान है द्य
- चुनाव ऐसा पर्व है, जिसमें देश का हर नागरिक प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से शासन संचालन में भाग लेता है द्य

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

- चुनाव से जनता यह तय करती है कि कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार देश व जनता को सही नेतृत्व दे सकता है।
- चुनाव पिछले सरकार को बदलने और नए दल को सरकार बनाने का अवसर प्रदान करती है। यदि पिछली सरकार सही तरीके से कान नही की होती है या फिर किये हुए वादों को पूरा करने में नाकाम रहती है तो जनता उस दल को बहार का रास्ता दिखा देती है और नए दल को सरकार बनाने का अवसर प्रदान करती है। इसी उम्मीद के साथ की हो सकता है कि क्या पता यह पार्टी देश को प्रगति की ओर अग्रसित करे।

चुनाव संबंधित संवैधानिक प्रावधान– संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में भारत के निर्वाचन से के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानसभा मण्डल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।

अनुच्छेद 324(1) के अनुसार, चुनाव आयोग की शक्ति लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, विधान परिषद्, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की है। यह आयोग राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से सम्बंधित नही है, क्योंकि इसके चुनाव का प्रशासन राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है।

अनुच्छेद 324 (2),में प्रावधान है की चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राषट्रपति करेंगे।

अनुच्छेद 324 (3) के अनुसार जब चुनाव आयोग बहुसदस्यी होगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष होंगे।

अनुच्छेद 324(4) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति क्षेत्रीय आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकता है, जैसा कि वह चुनाव आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझते हैं। यह काम राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श के बाद ही करतें हैं।

अनुच्छेद 324(5) में कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों द्वारा किये जाने वाले कार्य की अवधि और शर्तें भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी

अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति मतदाता मतदाता सूची में नामित होने के लिए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर अपात्र नही हो सकता है।

अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि लोकसभा एवम् राज्यों के विधान सभाओं में होने वाले चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगें। अर्थात् 18 वर्ष का हर भारतीय नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है।

अनुच्छेद 327 विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति संसद में निहित है। अनुच्छेद 327के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से सम्बंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। किसी राज्य की मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना आदि शामिल है।

अनुच्छेद 328 दृकिसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति उस राज्य के विधानमंडल के पास है।

राज्य की विधायिका भी स्वयं के निर्वाचन से सम्बंधित सभी मामलों में, मतदाता सूची की तैयारियों के संबंध में तथा सम्बंधित सम्व संवैधानिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी मामलों में उपबंध बना सकती है लेकिन वे केवल उन्हीं मामलों में नियम बना सकतें है जो संसद के कार्य क्षेत्र में नही आतें है। दूसरें शब्दों में वे केवल संसदीय विधि के अनुपूरक हो सकतें है लेकिन उस प्रभावी नही हो सकतें है।

अनुच्छेद 329 निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन से सम्बंधित है।

संसद एवम् राज्य के विधायिकाओं के चुनाव को किसी भी कोर्ट में चौलेंज नही किया जा सकता है जबतक कि संसद द्वारा कोई कानून बनाकर किसी सक्षम प्राधिकारी को ये अधिकार न दे दिया जाये द्यसंसद ने इसी आधार पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित किया है जिसमे यह कहा गया है कि संसद या राज्य कि विधायिकाओं के चुनाव से सम्बंधित किसी विवाद में चुनाव आयोग का फैसला अंतिम व मान्य होगा लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद एक चुनाव याचिका द्वारा हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है।

भारतीय संविधान का उद्देश्य देश की संरचना और संचालन को सुनिश्चित करना है, जिसमें लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बनाए रखना भी शामिल है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुनाव संबंधित प्रावधान हैं, जो देश के नागरिकों को न्यायपूर्ण, सांविधानिक और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की सुनिश्चितता करते हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से हम लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों को मजबूत करते हैं और सामाजिक समरसता, समानता और न्याय के मानकों को बढ़ावा देते हैं।

पहले तो, विधान ने चुनाव प्रक्रिया को स्पष्ट और तंत्रिक बनाया है, जिससे सार्वजनिक प्रतिनिधि चुनावों की प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायसंगत हो।

चुनावों के समय निर्वाचन आयोग को कई महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व होता है, जैसे कि मतदाताओं के पंजीकरण, मतदान केंद्रों की निगरानी, चुनाव विभागों की स्थापना और चुनाव प्रक्रिया में कोई भी अनियमिति के खिलाफ कार्रवाई करना।

भारतीय संविधान ने हर नागरिक को चुनावी अधिकार दिया है, जिसके तहत वह अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। यह अधिकार लोकतंत्र की मौलिक अधिकार है और इससे नागरिकों को सामाजिक सहभागिता का अधिकार प्राप्त होता है।

चुनावों के समय निर्वाचित प्रतिनिधियों की योग्यता को संविधान ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। उन्हें निश्चित मानदंडों के आधार पर पारित किया जाता है, तॉकि संम्बधित विभिन्न प्रकार के उपबंधों की व्यवस्था की गई है द्य निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

कराने की पूरी जिम्मेदारी जिस संवैधानिक संस्था पर है उसका नाम चुनाव आयोग है।

संविधान में लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बनाए रखना भी शामिल है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुनाव संबंधित प्रावधान हैं, जो देश के नागरिकों को न्यायपूर्ण, सांविधानिक और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की सुनिश्चितता करते हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से हम लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों को मजबूत करते हैं और सामाजिक समरसता, समानता और न्याय के मानकों को बढ़ावा देते हैं।

पहले तो, भारतीय संविधान ने निर्वाचन आयोग की स्थापना की है, जो चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और प्रबंधन करता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्षता का संरक्षक होता है और सुनिश्चित करता है कि चुनावी कार्यक्रम न्यायपूर्णता के साथ संचालित हों। इसके अलावा, संविधान ने चुनाव प्रक्रिया को स्पष्ट और तंत्रिक बनाया है, जिससे सार्वजनिक प्रतिनिधि चुनावों की प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायसंगत हो।

चुनाव के समय निर्वाचन आयोग को कई महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व होता है, जैसे कि मतदाताओं के पंजीकरण, मतदान केंद्रों की निगरानी, चुनाव विभागों की स्थापना और चुनाव प्रक्रिया में कोई भी अनियमिति के खिलाफ कार्रवाई करना।

भारतीय संविधान ने हर नागरिक को चुनावी अधिकार दिया है, जिसके तहत वह अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। यह अधिकार लोकतंत्र की मौलिक अधिकार है और इससे नागरिकों को सामाजिक सहभागिता का अधिकार प्राप्त होता है।

चुनावों के समय निर्वाचित प्रतिनिधियों की योग्यता को संविधान ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। उन्हें निश्चित मानदंडों के आधार पर पारित किया जाता है, तॉकि केवल योग्य और प्रामाणिक उम्मीदवार ही लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बन सकें। भारतीय संविधान ने निर्वाचन आयोग की स्थापना की है, जो चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और प्रबंधन करता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्षता का संरक्षक होता है और सुनिश्चित करता है कि चुनावी कार्यक्रम न्यायपूर्णता के साथ संचालित हों।

चुनाव के बदलते स्वरूप– 1952 से शुरु हुए चुनाव के तरीके और आज के होने वाले चुनाव के तरीके में काफी बदलाव आ चुका है। लोकतान्त्रिक चुनाव के नियमों एवं मूल्यों की परवाह किये बिना चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने केवल एक बात ही सीखी है कि सफलता से बढ़कर कुछ भी नहीं है इसीलिए उम्मीदवारों वह तरीके अपनाने में जरा भी संकोच नही होता जो उन्हें चुनाव जितने में मददगार साबित हो। पहले के चुनाव में प्रचार अभियानों का अनिवार्य हिस्सा सैद्धांतिक एवम् नैतिक बहसें हुआ करती थीं जो अब धीरे–धीरे समाप्त होते जा रहें हैं।

हमारी चुनाव प्रणाली मुख्यतः तीन एम– मनी पॉवर (धनशक्ति), मसल्स पॉवर (बहुबल), मिनिस्ट्रियल पॉवर से पीड़ित है इसे तीन सी कैश (पैसा), करप्शन (भ्रष्टचार), क्रिमिनल (बहुबल) भी कहा जाता है। अब ये बात और है कि निर्वाचन आयोग ने इस पर रोक लगाने के लिए अनेक नियम कानून बना रखें है लेकिन इन नियमों का उल्लंघन भी राजनीतिक पार्टियाँ करती रहतीं हैं। अगर चुनाव आयोग द्वारा निर्मित नियम कानून का ईमानदारी से पालन किया जाये तो चुनाव में पारदर्शिता आसानी से लाया जा सकता हैं।

निष्कर्ष– लोकतान्त्रिक देश में चुनाव देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। हमारे देश की चुनाव प्रणाली की सफलता अनेक आधारों पर मापी जा सकती है– हमारी चुनाव प्रणाली ने मतदाताओं न केवल अपनी पसंद के मतदाताओं को चुनने की स्वतंत्रता दी है, बल्कि उन्हें केंद्र व राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकार बदलने का भी अवसर प्रदान करती है, मतदाताओं की रूचि चुनाव में लगातार बढ़ी है,हमारी चुनाव व्यवस्था ऐसी है जिसमे सभी को सामान अवसर मिलता है, मतदान के समय मतदाताओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेद भाव नही किया जाता है। पहले चुनाव से लेकर आज तक के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी इस दिशा में काम करने की और जरूरत है इसप्रकार से कहा जा सकता है कि चुनाव हमारे लोकतंत्र का रीढ़ व हृदय है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऍम, लक्ष्मी कान्तः भारत की राज्य व्यवस्था।
2. कोठरी, रजनी : भारत में राजनीती।
3. सुभाष कश्यप : हमारा संविधान।
4. भारतीय संविधान : अनुछेद 324 – 329.
5. पत्रिका : दृष्टि प्रकाशन।
6. राज्य सभा टीवी।
7. संसद टीवी।

*****